राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ.2( )बजट/बचत–आधिक्य/आईसीडीएस/18/39499–531 जयपुर, दिनांक 7-3-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

विषयः– बचत/आधिक्य विवरण पत्र वर्ष 2017–18 भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके जिले से प्राप्त मासिक व्यय विवरण जनवरी, 2018 का परीक्षण करने पर पाया गया कि आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों द्वारा विभिन्न उपमदों में पर्याप्त बजट उपलब्ध होते हुए भी नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ परियोजना कार्यालयों द्वारा 2–3 माह का बिल एक साथ आहरित किया जा रहा है, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट आवंटन करते समय भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं/सहयोगिनियों को मानदेय का नियमित रूप से भुगतान किया जावे तथा विलम्ब से भुगतान की स्थिति के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/महिला पर्यवेक्षक का वेतन आहरित नहीं किया जावे, फिर भी मानदेय भुगतान में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अतः निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार समय–समय पर राशि की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता रहा है, जिसके अनुसार आप द्वारा समस्त देयताओं का नियमानुसार निस्तारण कर दिया होगा। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियमों के अंतर्गत देय भुगतान कर दिया गया है। नियमों के अंतर्गत देय भुगतान यदि बकाया रहते है, तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। अतिरिक्त बजट हेतु मांग बचत–आधिक्य में ही प्रस्तुत करावें। **दि. 9.3.18 के पश्चात अतिरिक्त बजट हेतु मांग पत्र पृथक से प्रेषित नहीं किये जावें।**

वर्ष 2017–18 के लिए परिशिष्ट–'अ' एवं 'ब' में अंकितानुसार आवंटित बजट एवं समय–समय पर आवंटित की गई अतिरिक्त मदवार राशि को भी इसमें सम्मिलित किया जाकर, परिशिष्ट–'अ' एवं 'ब' में बचत आधिक्य तैयार किए जावें।

आवंटित राशि के विरूद्ध समस्त मदों में अंतिम आधिक्य/बचत विवरण की सूचना मदवार अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों से प्राप्त कर, जिला कार्यालय सहित संकलित सूचना निम्न प्रपत्र में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकर्मी के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

मद : 2236–पोषण (सीए/एसएफ)

क्र. सं.	विस्तृत मद	वर्ष 17–18 में आवंटित कुल राशि	28.02.18 तक वास्तविक व्यय	1.3.18 से 31.03.18 तक संभावित व्यय	योग व्यय (4+5)	बचत (समर्पित योग्य राशि)	आधिक्य (अति. बजट की मांग)	आधिक्य/बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.संवेतन							
2	01.संवेतन एनटीटी							
3	03. यात्रा व्यय							
4	04. चिकित्सा व्यय							
5	05. कार्यालय व्यय–आ.							
6	09. किराया कार्यालय							
7	09. किराया आंगन.							
8	20. वाहन संधारण							

D:\Budget\SETHI\WORD\ALLOT. 16-17.DOC

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	36. वाहन किराया							
10	37. वर्दी व्यय							
11	42. मानदेय–केन्द्रांश–अ							
12	42.मानदेय–राज्यांश–अ							
13	42. मानदेय–राज्य निधि शत प्रतिशत–ब							
14	सहयोगिनी मानदेय							
15	गरम पूरक पोषाहार							
16	आरटीई एसएचजी 101							
17	आरटीई एसएचजी 789							
18	कल्याण कोष							

यह भी सुनिश्चित करें कि मांग की जाने वाली राशि निर्धारित नॉर्मस से अधिक नहीं हो एवं संभावित व्यय में उतनी ही राशि की मांग की जावें, जितनी राशि की चालू वित्तीय वर्ष की देयताओं के निपटारे हेतु आवश्यकता है एवं जिसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जावेगा। अतिरिक्त बजट की मांग औचित्य पूर्ण विस्तृत कारणों सहित की जावे। राशि के आवंटन के पश्चात यदि किसी भी मद में राशि अधिक व्यय होती है अथवा बचत रहती है, तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें। बचत–आधिक्य निदेशालय में प्रस्तुत करने का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	दिनांकः	कार्यालय उपनिदेशक
1.	12.03.18	बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ, डूंगरपुर, सिरोही, सं. निदेशक (चिकि.) जयपुर
2.	13.03.18	भरतपुर, भीलवाडा, चूरू, चित्तोडगढ, दौसा, अलवर, अजमेर
3.	14.03.18	जयपुर, धौलपुर, स.माधोपुर, बाडमेर, बूंदी, बीकानेर, कोटा
4.	15.03.18	जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जैसलमेर, करौली, टोंक
5.	16.03.18	जोधपुर, नागौर, सीकर, झालावाड, राजसमन्द, झुंझुनू, बांरा, मुख्यालय

उक्तानुसार निर्धारित दिनांक को बचत–आधिक्य प्रेषित नहीं किए जाने पर अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा। बजट के अभाव में यदि कोई दायित्व बकाया रहते है, तो इसके लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

वित्तीय सलाहकार 7/3/18

क्रमांकः–एफ.2( )बजट/बचत–आधिक्य/आईसीडीएस/18/39532-839 जयपुर, दिनांक 7-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (चिकित्सा), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर/आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी से पूर्व उपरोक्त सूचना तैयार कर संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. लेखाकार/लेखाकर्मी (उपनिदेशक कार्यालय), महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से सूचना एकजाई कर, निदेशालय में उपस्थित होवें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करलें कि परियोजना कार्यालयों द्वारा आवंटित एवं व्यय राशि की सूचना परिशिष्ठ–अ एवं ब के अनुसार पृथक–पृथक दशाई गई है।
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार 7/3/18

D:\Budget\SETHI\WORD\ALLOT. 16-17.DOC